

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020—आश्विन 9, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

अधि.क्र. 220 एफ 01-88/2020/18-3 म.प्र.नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बडागांव (धसान) जिला टीकमगढ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 07, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्र. 09, महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 10, इंदिरा गांधी वार्ड

2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 05, अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, अमृतलाल फणीन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र. 12, भगत सिंह वार्ड (4) वार्ड क्र. 13, संजय गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 07, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, अमृतलाल फणीन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, भगत सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 02, जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, वाल्मीकी वार्ड (3) वार्ड क्र. 08, नारायण दास खरे वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, रानी दुर्गावती वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ-01-88-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 220-एफ-01-88-2020-अठारह-3, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2020

Not-No 220 F 01-88/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Badagaon (Dhasan) District Tikamgarh published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 07, Subhash Chand Bose Ward (2) Ward No: 09, Mahatma Gandhi Ward (3) Ward No. 10, Indira Gandhi Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 05, Ambedkar Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 01, Amritlal Phadindra Ward (2) Ward No. 11, Laxmi Bai Ward (3) Ward No. 12, Bhagat singh Ward (4) Ward No. 13, Sanjay Gandhi Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	02	(1) Ward No. 07, Subhash Chand Bose Ward (2) Ward No. 10, Indira Gandhi Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 01, Amritlal Phadindra Ward (2) Ward No. 12, Bhagat singh Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 02, Jawahar Lal Nehru Ward (2) Ward No. 06, Valmeek Ward (3) Ward No. 08, Narayan Das khare Ward (4) Ward No. 15, Rani Durgavati Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

अधि.क्र. २२१ एफ 01-89/2020/18-3 म.प्र.नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बल्देवगढ जिला टीकमगढ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, विंध्यवासिनी वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, सरदार सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 12, इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 04, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, हनुमान वार्ड (3) वार्ड क्र. 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, सुदर्शन वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 01, विंध्यवासिनी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 15, सुदर्शन वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 02, जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 08, प्रेमनगर वार्ड (4) वार्ड क्र. 09, सरदार पटेल वार्ड (5) वार्ड क्र. 14, संजय वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ-01-89-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 221-एफ-01-89-2020-अठारह-3, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2020

Not-No २२ | F 01-89/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Baldevgarh District Tikamgarh published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 01, Vindhwasini Ward (2) Ward No. 07, Sardar Singh Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 12, Indira Gandhi Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 04, Subhash Ward (2) Ward No. 10, Hanuman Ward (3) Ward No. 11, Lal bahadur Shastri Ward (4) Ward No. 15, Sudarshan Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	01	(1) Ward No. 01, Vindhwasini Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 11, Lal bahadur Shastri Ward (2) Ward No. 15, Sudarshan Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	05	(1) Ward No. 02, Jawahar Lal Nehru Ward (2) Ward No. 03, Gandhi Ward (3) Ward No. 08, Premnagar Ward (4) Ward No. 09, Sardar Patel Ward (5) Ward No. 14, Sanjay Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

अधि.क्र. 222 एफ 01-121/2020/18-3 म.प्र.नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद खरगापुर जिला टीकमगढ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, जवाहर वार्ड (3) वार्ड क्र. 07, कबीर वार्ड (4) वार्ड क्र. 12, अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 03, फिरोज वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, मोहम्मद वार्ड (3) वार्ड क्र. 05, सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्र. 08, इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06, जवाहर वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, कबीर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, फिरोज वार्ड (2) वार्ड क्र. 05, सुभाष वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 09, राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, मंहावीर वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, देसाई वार्ड (4) वार्ड क्र. 14, प्रताप वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ-01-121-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 222-एफ-01-121-2020-अठारह-3, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2020

Not-No 222 F 01-121/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Khargapur District Tikamgarh published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 01, Gandhi Ward (2) Ward No. 06, Jawahar Ward (3) Ward No. 07, Kabir Ward (4) Ward No. 12, Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 03, Firoz Ward (2) Ward No. 04, Mohammad Ward (3) Ward No. 05, Subhash Ward (4) Ward No. 08, Indira Gandhi Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	02	(1) Ward No. 06, Jawahar Ward (2) Ward No. 07, Kabir Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 03, Firoz Ward (2) Ward No. 05, Subhash Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 09, Rajendra Ward (2) Ward No. 10, Mahaveer Ward (3) Ward No. 13, Deshai Ward (4) Ward No. 14, Pratap Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.